सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

112

एक सौ बारहवां प्रतिवेदन

[ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 46वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(iv)**
प्रतिवेदन	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 46वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई।	01
परिशिष्ट		
परिशिष्ट-एक	समिति के 46वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।	03
परिशिष्ट-दो	समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	08

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री ससगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति **(2022-2023)** का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह एक सौ बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 46वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 13 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई कार्रवाई को दर्शाते हुए 06 अक्तूबर, 2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **गिरीश चन्द्र**

23 मार्च, 2023 **सभापति**

02 चैत्र, 1945 (शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23), लोक सभा

प्रतिवेदन

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 46वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई।

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) द्वारा अपने 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है, जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले से संबंधित है, जिसे 13 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से की-गई-कार्रवाई उत्तर 06 अक्तूबर, 2022 को प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन से नोट किया कि वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के लिए बेसिल के अपेक्षित दस्तावेजों को सदन के पटल पर विलंब से रखने का मुख्य कारण लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा करने और संबंधित वर्षों के लिए अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में लिया गया समय था। इसलिए, समिति इस संबंध में विलंब के विशेष कारण जानना चाहती थी और समिति ने यह सिफारिश भी की कि बेसिल की लेखापरीक्षा करने और अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुत करने के मामले को उच्चतम स्तर पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के साथ उठाया जाए ताकि लेखापरीक्षा को समय पर पूरा किया जा सके और इस संबंध में किसी भी परिणामी विलंब से बचा जा सके।**

4. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया कि जब भी सांविधिक/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा पूरी करने में विलंब होता है, तो बेसिल के अधिकारी लेखापरीक्षकों के साथ-साथ नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के उच्च प्राधिकारियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशक कार्यालय ने भी आश्वासन दिया है कि लेखाओं के प्रमाणन में उनकी ओर से विलंब को उपयुक्त रूप से दूर किया जा रहा है।

5. समिति लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए अत्यधिक समय का संज्ञान लेती है और यह चाहती है कि लेखाओं का मिलान करने और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा कराने और फिर, अंत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनको अनुमोदित कराने में विलंब से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाए। समिति आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के साथ किए गए उपचारात्मक उपायों से मंत्रालय/बेसिल निर्धारित समय के भीतर वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में सक्षम होंगे। समिति चाहती है कि आगामी वर्षों के लिए बेसिल के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने की अद्यतन स्थिति से उसे अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली; गिरीश चन्द्र

23 मार्च, 2023 सभापति

02 चैत्र, 1945 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

टिप्पण : वर्ष 2021-22 के अपेक्षित दस्तावेज 07.02.2023 को सभा पटल पर रखे गए।

परिशिष्ट –एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(सिफ़ारिश क्रम सं. 21)

समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि इस तथ्य को जानते हुए कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद 9 माह के भीतर सभा पटल पर रखना अपेक्षित होता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और बेसिल वर्ष 2016-2017 को छोड़कर, गत पांच वर्षों के दौरान वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2015-2016, 2017-18 और 2018-2019 के बेसिल के दस्तावेज क्रमशः 3, 6 और 9 माह के विलंब से सभा पटल पर रखे गए थे। बेसिल के वर्ष 2019-2020* के दस्तावेज अभी भी सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं।

* सदन के सभा पटल पर 06.08.2021 को रखे गए।

सरकार का उत्तर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) ने वार्षिक प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर समय पर रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। बेसिल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र अपने लेखा बहियों को बंद करने और लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने में इन वर्षों में विलम्ब हुआ। संबंधित वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, विलम्ब के कारणों के विवरण सहित संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए थे।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बेसिल के लेखाओं की लेखापरीक्षा में कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार और वित्त वर्ष 2019-20 समाप्त होने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से सामान्य से अधिक

समय लगा और तदनुसार वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। इसे विलंब विवरण के साथ दिनांक 06.08.2021 को संसद में सभा पटल पर रखा गया।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, का ज्ञा सं. एन-37024/8/2020-बी (डी) दिनांक 06.10.2022)

(सिफारिश क्रम सं. 22)

बेसिल के वर्ष 2015-16 2017-18 और 2018-19 के दस्तावेजों को सभा पटल पर विलंब से रखने के कारणों की जांच करते हुए, समिति को यह बताया गया था कि इन वर्षों के अंतिम लेखापरीक्षित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा में लगा समय तथा सीएंडएजी द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणियों को पुनः जारी करना विलंब के मुख्य कारण थे। समिति पाती है कि प्रथानुसार बेसिल के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए सबसे पहले सीएंडएजी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और इसके बाद प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करते हैं तथा इसके बाद अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी होता है। अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को पुनः सीएंड एजी के पास उनकी टिप्पणियों हेतु प्रस्तुत किया जाता है। समिति पाती है कि सांविधिक लेखापरीक्षक वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने में 2 से 3 ½ माह का समय लेते है तथा उक्त वर्षों के अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, सीएंडएजी का उपर्युक्त वर्षों के लिए अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने में 2 से 5 माह का समय लगा। समिति को इतने ज्यादा समय लगने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। इसलिए समिति विशिष्ट कारणों को जानना चाहती है और पुरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि समय पर लेखापरीक्षा करने तथा अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के मामले को उच्चतम स्तर पर लेखा प्राधिकारियों के साथ उठाया जाए ताकि लेखापरीक्षा को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके और इस संबंध में, होने वाले किसी भी परिणामी विलंब से भी बचा जा सके। समिति चाहती है कि इस संबंध में उठाए गए ठोस कदमों से उसे अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

महानिदेशक लेखापरीक्षा और बेसिल से प्राप्त जानकारी के आधार पर, बेसिल के वार्षिक वित्तीय लेखाओं की लेखापरीक्षा और सीएंडएजी द्वारा तत्संबंधी अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने में विलंब के लिए वर्ष-वार कारण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	विलंब के कारण
2015-16	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बेसिल के वार्षिक वित्तीय लेखाओं की लेखापरीक्षा में विलम्ब हुआ तथा उन्होने 07.09.2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुमोदित लेखाओं को दिनांक 15.09.2016 को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय में उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया था। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय से अंतिम टिप्पणियां 10.11.2016 को प्राप्त हुई थी जिसमें लगभग 60 दिनों का समय लगा। चूंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, इसलिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया तथा 16.12.2016 को आयोजित बेसिल की वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया गया। इस मंत्रालय को विलंब के कारण सहित अंतिम वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई और इसे 22.03.2017 को संसद सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा गया था ।
2017-18	सीएंडएजी द्वारा 13.09.2018 को लेखाओं की प्राप्ति से 25.01.2019 को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जारी करने तक 135 दिन (4.5 महीने) लगें जिसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार 60 दिन (2 महीने) का निर्धारित समय शामिल है। 60 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक का समय कुछ अपरिहार्य कारणों से था: (i) प्रबंधन/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर में लिया गया अतिरिक्त समय (14 दिन); (ii) अनंतिम टिप्पणियों के उत्तर में प्रबंधन/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा और समय(11 दिन) लिया गया, और उसके बाद अतिरिक्त अनंतिम टिप्पणियों के उत्तर में लगने वाला समय (09 दिन), और (iii) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुख्यालय में महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मुद्दों की जांच करना और उच्चतम स्तर पर उठाए गए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुख्यालय की टिप्पणियों पर ध्यान देना।
2018-19	सीएजी द्वारा 04.09.2019 को लेखाओं की प्राप्ति से 11.02.2020 को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जारी करने तक 161 दिनों (5.3 महीने) का समय लगा जिसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार 60 दिन (2 महीने) का निर्धारित समय शामिल है। निर्धारित अवधि से अधिक समय कार्यालय की अनिवार्यताओं के कारण था, (ii) बार-बार अनुस्मारक/अनुरोधों के बावजूद प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर प्रस्तुत करने में लिया गया अतिरिक्त समय (46 दिन) (iii)

	मुख्यालय में महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मुद्दों की जांच करने और उच्चतम स्तर पर उठाए गए टिप्पणियों पर ध्यान देने में शामिल समय।

बेसिल के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केवल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। जब भी सांविधिक/ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा पूरी होने में विलंब होता है, तो बेसिल के अधिकारी लेखापरीक्षकों के साथ-साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के उच्च अधिकारियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

लेखापरीक्षा महानिदेशक कार्यालय ने भी आश्वासन दिया है कि लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलंब के संबंध में उनकी ओर से उपयुक्त रूप से समाधान किया जा रहा है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, का ज्ञा सं. एन-37024/8/2020-बी (डी) दिनांक 06.10.2022)

(सिफारिश क्रम सं. 23)

समिति यह नोट करके निराश है कि मंत्रालय अभी तक कोई भी प्रभावी तंत्र विकसित करने में सक्षम नहीं है ताकि बेसिल के दस्तावेजों को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर निहित समय के भीतर रखना सुनिश्चित किया जा सके, जबकि यह मामला गहन चिंता का है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को समग्र प्रयास करने चाहिए ताकि भविष्य में दस्तावेजों को सभा पटल पर समय से रखना सुनिश्चित किया जा सके। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन से समिति को भी अवगत कराया जाना चाहिए तथा इसके अलावा भविष्य में ऐसे विलंब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या उपाए किए गए हैं, के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर बेसिल की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय बेसिल की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के विभिन्न चरणों के दौरान बेसिल के साथ लगातार समन्वय स्थापित करता है। बेसिल की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए और अधिक गहन प्रयास किए जाएंगे।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, का ज्ञा सं. एन-37024/8/2020-बी (डी) दिनांक 06.10.2022)

(सिफारिश क्रम सं 24)

समिति यह भी पाती है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से, बेसिल के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज क्यों नहीं रखे जा सके, इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सभा समवेत हो जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

यदि संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है, तो विलम्ब के कालानुक्रम सहित वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण, बेसिल से प्राप्त होते ही संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाता है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, का ज्ञा सं. एन-37024/8/2020-बी (डी) दिनांक 06.10.2022)

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 – 6 xx xxx xx
ईकार्रवा;

7. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित (बेसिल) लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभ) में की गई सिफारिशों टिप्पणियों पर/सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई-;

8 – 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx	xx	xx	xx
Xx	xx	xx	xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

—